

राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर पीठ, जयपुर.

आदेश

S.B. Civil Misc. Appeal No. 853/2016

राज. स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड अब राज. विधुत प्रसारण निगम लि.

बनाम

बृज बल्लभ एवं अन्य

आदेश दिनांक :

15 जनवरी , 2019

माननीय न्यायाधिपति श्री बनवारी लाल शर्मा

श्री अनुरूप सिंघी अधिवक्ता-अपीलार्थी की ओर से
प्रत्यर्थागण की ओर से कोई उपस्थित नहीं

--

विद्वान् अधिवक्ता अपीलार्थी श्री अनुरूप सिंघी ने निवेदन किया है कि वे मकर संक्राति के त्यौहार में व्यस्त रहने के कारण प्रकरणों की तैयारी नहीं कर सके, इसलिए अवसर दिया जावे।

चूंकि प्रत्यर्थागण की ओर से आज कोई उपस्थित नहीं है।

अतः समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को मध्यनजर रखते हुए प्रार्थनानुसार उन्हे अन्तिम अवसर दिया जाता है।

पत्रावली मय समस्त संलग्न अपीलों के दिनांक 29.01.2019 को पुनः न्यायालय के समक्ष सूचीबद्ध की जावे।

(न्या० बनवारी लाल शर्मा)